न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, सुलतानपुर।
सत्र परीक्षण संख्या- 916/2023

राज्य --------------------------------बनाम-------------------------------- रामदेव पटेल

मु०अ०सं० 35/2023,
धारा 323, 504, 506, 324, 307 भा0दं0सं0,
थाना रामगंज, जिला अमेठी।

आरोप

मैं, अभय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1, सुलतानपुर, आप अभियुक्त, रामदेव पटेल को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 27.03.2023 को समय लगभग 03.30 बजे शाम बहद् स्थान छीड़ा बजेठी मार्ग, ग्राम छीड़ा, थाना रामगंज, जिला अमेठी आपने वादी मुकदमा संजय कुमार यादव के चचेरे भाई दान बहादुर यादव को लात, घूंसा, चाकू से मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने धारा 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा संजय कुमार यादव के चचेरे भाई दान बहादुर यादव को भद्दी-भद्दी गालियां देकर अपमानित किया, जिससे लोक प्रशांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई। इस प्रकार आपने धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा संजय कुमार यादव के चचेरे भाई दान बहादुर यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रसा पैदा किया। इस प्रकार आपने धारा 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा संजय कुमार यादव के चचेरे भाई दान बहादुर यादव को धारदार हथियार चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। इस प्रकार आपने धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा संजय कुमार यादव के चचेरे भाई दान बहादुर यादव को जान से मारने की नियत से चालू से हमला कर दिया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस

Digitally signed by ABHAI SRIVASTAV
Date: 2024.02.02 16:26:59 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 307 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-02.02.2024

(अभय श्रीवास्तव)
(J.O. CODE UP6216)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

उपरोक्त आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की।

दिनांक-02.02.2024

(अभय श्रीवास्तव)
(J.O. CODE UP6216)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, सुलतानपुर।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या- 916/2023</u>

राज्य -------------------------------बनाम------------------------------- रामदेव पटेल

मु०अ०सं० 35/2023,
धारा 323, 504, 506, 324, 307 भा0दं0सं0,
थाना रामगंज, जिला अमेठी।

<u>दिनांकः-02.02.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रामदेव पटेल मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त उपर्युक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 324, 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की याचना की। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनाँक 22.03.2024 को पेश हो।

(अभय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।